

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 201 / 08

संस्थित दि.: 27 / 03 / 08

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

चौकी उकवा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

पोतराम पिता नारायण ठाकरे, उम्र 49 साल, जाति पवार,

निवासी डोंगरिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिवनांक 17 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 03.03.2008 को समय 11:00 बजे ग्राम छिन्दीटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शंकरलाल की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जों आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कान्तिलाल वाहने ने दिनांक 03.03.2008 को पुलिस चौकी उकवा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 03.03.2008 को उसका भाई शंकरलाल ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 पर हेल्परी का कार्य कर रहा था तो ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से चलाकर पलटी खिला दिया जिससे उसका भाई शंकरलाल ट्रेक्टर के नीचे दब गया और मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से चौकी उकवा में ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक

0 / 08 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक आरोपी पोतराम को गिरफ्तार कर आरोपी से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है वह निर्दोष है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 03.03.2008 को समय 11:00 बजे ग्राम छिन्दीटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर पलटी खिलाकर शंकरलाल की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी/फरियादी कान्तिलाल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 03.03.2008 की दिन के 12:30 बजे ग्राम छिन्दीटोला की है। उक्त दिनांक को उसके भाई शंकरलाल की ट्रेक्टर पलटने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(07) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता सिरपत मोहबे (अ.सा.11) का कहना है कि दिनांक 03.03.2008 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए सूचनाकर्ता कान्तिलाल के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके भाई शंकरलाल को ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर को चलाकर पलटी खिलाकर उसकी मृत्यु कारित की। सूचनाकर्ता की मौखिक रिपोर्ट पर से उसके द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक के विरुद्ध मर्ग इन्टीमेशन की कायमी की थी जो प्रदर्श पी-08 है। उक्त मर्ग इन्टीमेशन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसके द्वारा लेखबद्ध की गई थी।

(08) फरियादी एवं कायमीकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता लोकमन (अ.सा.15) का कहना है कि दिनांक 03.03.2008 को घटनास्थल पर जाकर कान्तिलाल वाहने की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। मृतक शंकरलाल की मृत्यु जांच के संबंध में गवाहों एवं पंचों को तलब कर प्रदर्श पी-03 का सूचना पत्र दिया था एवं पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था व घटनास्थल से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 05.03.2008 को आरोपी पोतराम ठाकरे से एक रजिस्ट्रेशन बुक इंश्योरेंस, ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। प्रार्थी कान्तिलाल साक्षी राजेन्द्र, श्रीमति विमलाबाई, रीताबाई, गणेश प्रसाद, रमेश मेश्राम, रमेश, मुन्ना चौहान, प्रेमलाल, श्रीमति लता वाहने के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी पोतराम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी डॉ. अवधेश गौर (अ.सा.13) का कहना है कि दिनांक 03.03.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए मृतक शंकरलाल पिता लालाजी वाहने उम्र 38 साल निवासी ग्राम गुदमा का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में उसने निम्न चोटे पाई :- बाह्य

परीक्षण में सिर के बांये भाग में एक फटा हुआ घाव, सिरा पिचका हुआ, ब्रेन मटेरियल सिर से बाहर निकला हुआ, आंख खुली हुई, दोनों हाथ व पैर में अकड़न होना पाया था तथा आंतरिक परीक्षण में खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, पर्दा, पसली, कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ व श्वास नली, पेरिआन पकर्सियम, वृहद वाहिका, पर्दा, आंतो की झिल्ली, ग्रासनली कंजस्टेड थे दाहिना एवं बांया फेफड़ा कंजस्टेड एवं हल्का सा सूजा हुआ, हृदय का बांया चेम्बर खाली और दाहिने चेम्बर में रक्त भरा हुआ, पेट खाली, छोटी आंत बड़ी आंत में मटेरियल था। मृतक शंकरलाल की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण हुई। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(10) किन्तु अभियोजन साक्षी बसन्त (अ.सा.02), प्यारेलाल (अ.सा.03), रमेश मेश्राम (अ.सा.04), रमेश (अ.सा.05), गोरेलाल (अ.सा.06), मुन्नालाल (अ.सा.07), गणेश (अ.सा.14) का कहना है कि घटना उनके कथन के 7-8 वर्ष पुरानी 2008 की छिंदीटोला की दोपहर के समय की है। ट्रेक्टर पलटने से शंकर की ट्रेक्टर में दबने से मृत्यु हो गई थी। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.08) एवं लता वाहने (अ.सा.09), विमलाबाई (अ.सा.16) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी बलराम (अ.सा.12) एवं राजेन्द्र (अ.सा.10) का कहना है कि उसके सामने आरोपी पोतराम से ट्रेक्टर के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-09 तैयार किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं विवेचनाकर्ता के कथनों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी बसन्त, प्यारेलाल,

गोरेलाल, गणेश, विमलाबाई, प्रमिलाबाई, लता वाहने ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देह स्पष्ट है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता सिरपत मोहबे (अ.सा.11) का कहना है कि दिनांक 03.03.2008 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए सूचनाकर्ता कान्तिलाल के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके भाई शंकरलाल को ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर को चलाकर पलटी खिलाकर उसकी मृत्यु कारित की। सूचनाकर्ता की मौखिक रिपोर्ट पर से उसके द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 के चालक के विरुद्ध मार्ग इन्टीमेशन की कायमी की थी जो प्रदर्श पी-08 है। उक्त मार्ग इन्टीमेशन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसके द्वारा लेखबद्ध की गई थी।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता लोकमन (अ.सा.15) का कहना है कि उसने विवेचना के दौरान दिनांक 03.03.2008 को घटनास्थल पर जाकर कान्तिलाल वाहने की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। मृतक शंकरलाल की मृत्यु जांच के संबंध में गवाहों एवं पंचों को तलब कर प्रदर्श पी-03 का सूचना पत्र दिया था एवं पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था व घटनास्थल से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 05.03.2008 को आरोपी पोतराम ठाकरे से एक रजिस्ट्रेशन बुक इंश्योरेंस, ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। प्रार्थी कान्तिलाल साक्षी राजेन्द्र, श्रीमति विमलाबाई, रीताबाई, गणेश प्रसाद, रूकेश, रमेश, मुन्ना चौहान, प्रेमलाल, श्रीमति लता वाहने के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को आरोपी पोतराम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था।

(15) अभियोजन साक्षी डॉ. अवधेश गौर (अ.सा.13) का कहना है कि दिनांक 03.03.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए मृतक शंकरलाल पिता लालाजी वाहने उम्र 38 साल निवासी ग्राम गुदमा का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में उसने निम्न चोटे पाई :- बाह्य परीक्षण में सिर के बांये भाग में एक फटा हुआ घाव, सिरा पिचका हुआ, ब्रेन मटेरियल सिर से बाहर निकला हुआ, आंख खुली हुई, दोनों हाथ व पैर में अकड़न होना पाया था तथा आंतरिक परीक्षण में खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, पर्दा, पसली, कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ व श्वास नली, पेरिआन पकर्सियम, वृहद वाहिका, पर्दा, आंतो की झिल्ली, ग्रासनली कंजस्टेड थे दाहिना एवं बांया फेफड़ा कंजस्टेड एवं हल्का सा सूजा हुआ, हृदय का बांया चेम्बर खाली और दाहिने चेम्बर में रक्त भरा हुआ, पेट खाली, छोटी आंत बड़ी आंत में मटेरियल था। मृतक शंकरलाल की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण हुई। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(16) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादी कान्तिलाल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 03.03.2008 की दिन के 12:30 बजे ग्राम छिन्दीटोला की है। उक्त दिनांक को उसके भाई शंकरलाल की ट्रेक्टर पलटने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। पोस्टमार्टम के समय उपस्थित होने पर पुलिस ने उसको प्रदर्श पी-03 का सूचना पत्र दिया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी बसन्त (अ.सा.02), प्यारेलाल (अ.सा.03), रमेश मेश्राम (अ.सा.04), रमेश (अ.सा.05), गोरेलाल (अ.सा.06), मुन्नालाल (अ.सा.07), गणेश (अ.सा.14) का कहना है कि घटना उनके कथन के 7-8 वर्ष पुरानी 2008 की छिन्दीटोला की दोपहर के समय की है। ट्रेक्टर पलटने से शंकर की ट्रेक्टर में बदने से मृत्यु हो गई थी। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.08) एवं लता वाहने (अ.सा.09), विमलाबाई (अ.सा.16) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षियों को अभियोजन द्वारा

पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी बलराम (अ.सा.12) एवं राजेन्द्र (अ.सा.10) का कहना है कि उसके सामने आरोपी पोतराम से ट्रेक्टर के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-09 तैयार किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी कान्तिलाल, कायमीकर्ता सिरपत मोहबे एवं विवेचनाकर्ता लोकमन तथा डॉ. अवधेश गौर के कथनों से मृतक शंकरलाल की मृत्यु ट्रेक्टर के पलटने से होना तो परिलक्षित होता है किन्तु आरोपी ने दिनांक 03.03.2008 को समय 11:00 बजे ग्राम छिन्दीटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शंकरलाल की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की। ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमीकर्ता तथा विवेचनाकर्ता के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी बसन्त, प्यारेलाल, रमेश, गोरेलाल, मुन्नालाल, गणेश प्रसाद, प्रेमलाल, लता वाहने, विमलाबाई कान्तिलाल ने समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी पोतराम ने 03.03.2008 को समय 11:00 बजे ग्राम छिन्दीटोला में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर ट्रेक्टर को पलटी खिलाकर शंकरलाल की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी पोतराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पोतराम पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1946 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)